...ालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा राज0

...
...5 / 2025

तारीख दायरा
21.03.2025

तारीख फैसला
17-10-25

...ीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– जवाहर लाल आत्मज रामनारायण जाति मीणा निवासी बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा।

(वादीगण)

बनाम

1– बाबूलाल आत्मज रामनारायण जाति मीणा निवासी बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा।

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगणकी ओर से – श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 आर.टी.एक्ट बाबत नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– 1– यह कि ग्राम बगतरी तहसील दीगोद में सादिक खसरा नम्बर 666 की 2–37 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही थी। उक्त भूमि व अन्य भूमिया प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं० 1 व अन्य सहखातेरदारान के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही थी। जिसका आपसी विभाजन होने पर खसरा नम्बर 666 की 1–19 हेक्टर भूमि प्रार्थी को उत्तर दिशा की ओर व प्रतिवादी को 1–18 हेक्टर भूमि दक्षिण दिशा की ओर की प्राप्त हुई थी।

2– यह कि प्रार्थी को प्राप्त भूमि का खसरा नम्बर 666 रखा गया तथा प्रतिपक्षी नं० 1 को प्राप्त भूमि का नया खसरा नम्बर 882/666 राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। नकल जमाबन्दीया पेश है।

3– यह कि प्रार्थी उत्तर दिशा की और व प्रतिपक्षी दक्षिण दिशा की ओर मोके पर उक्त खसरा नम्बर के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। तथा इसी अनुसार पुराने नक्शा ट्रेस में अंकन किया गया है।

4– यह कि प्रार्थी ने जब वर्तमान राजस्व रिकार्ड का नक्शा ट्रेस देखा तो पता चला प्रतिपक्षी की भूमि को पूर्व दिशा में तथा प्रार्थी की भूमि को पश्चिम दिशा में दिखा रखा है जो गलत है।

वर्तमान नक्शा अनुसार

N
⇧
S

K.N.666 प्रार्थी जवाहरलाल जवाहर	K.N. 882/666 अप्रार्थी बाबुलाल

मौके के अनुसार

K.N.666 प्रार्थी प्रार्थी जवाहरलाल जवाहर
K.N. 882/666 अप्रार्थी बाबुलाल

5– यह कि उपरोक्त दिखाये गये मोके के अनुसार काबिज भूमि को नक्शा ट्रेस दुरुस्ती किया जाना आवश्यक हो गया है।

6–यह कि मोके के अनुसार काबिज भूमि के कब्जे काश्त को लेकर पक्षकारान मे भविष्य मे विवाद पैदा हो सकता है इस कारण राजस्व रिकार्ड के नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है।

7– यह कि प्रार्थी ने प्रतिपक्षी नं0 2 को उक्त मोके पर काबिज अनुसार नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करने हेतु कहा तो उन्होने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने को कहा इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी व प्रतिपक्षी की राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि को मोके के अनुसार काबिज भूमि को ही नक्शा ट्रेस में प्रार्थी के खाते की ख0न0 666 की भूमि को उत्तर दिशा में तथा प्रतिपक्षी के खाते की ख0न0 882/666 की भूमि को दक्षिण दिशा में अंकन कर दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

वादी की ओर से संलग्न दस्तावेज

1– नकल जमाबन्दी ग्राम बगतरी सम्वत 2076–2079 खाता सं0 नया 59
2– नकल जमाबन्दी ग्राम बगतरी सम्वत 2076–2079 खाता सं0 नया 89
3– नकल नक्शा
4– नकल सहमती पत्र
5– नकल आधार कार्ड

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। दीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। एवं प्रतिवादीगण के आपसी सहमति से राजीनामा होने से उभय पक्षकारान की ओर सहमति से राजीनामा दिनांक 11.06.2025 को प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट मंगवाई गई जो शामिल मिसल की गई।

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की ओंर से राजीनामा निम्न रूपेण पेश किया गया।

प्रार्थी व अप्रार्थी निम्न राजीनामा पेश करते हैं। यह कि प्रार्थी व प्रतिपक्षी की राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि को मौके के अनुसार काबिज भूमि को ही नक्शा ट्रेस में प्रार्थी के खाते की ख0न0 666 की भूमि को उत्तर दिशा में तथा प्रतिपक्षी के खाते की ख0न0 882/666 की भूमि को दक्षिण दिशा में अंकन कर दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान करें। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजी नामा तस्दीक किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की ओर से सहमति से राजीनामा प्रस्तुत करने पर उभय पक्षकारान के हस्ताक्षर आदेशिका पर लिये गये। वादी की पहिचान वादी अधिवक्ता द्वारा एवं प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा करवायी गयी। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया।

बहस उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत सहमति से राजीनामा को वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार दीगोद की रिपोर्ट तथा उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद ग्रस्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी के मध्य प्रस्तुत राजीनामा को स्वाकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा निम्नानुसार प्रस्तुत हुआ है:–

राजीनामा

यह कि उक्त वाद में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है जिसके तहत राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजी नामा तस्दीक किया जाकर प्रार्थी व प्रतिपक्षी की राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि को मौके के अनुसार काबिज भूमि को ही नक्शा ट्रेस में प्रार्थी के खाते की ख0न0 666 की भूमि को उत्तर दिशा में तथा प्रतिपक्षी के खाते की ख0न0 882/666 की भूमि को दक्षिण दिशा में अंकन कर दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान करे। मुताबिक प्रस्तुत राजीनामा अनुसार पारित निर्णय अनुसार पालना करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार यदि राजस्व बनता है तो पक्षकारान से लिया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद